



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126505

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19256/2026

मुकेश

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : राकेश पति तिवारी

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश पति तिवारी और उत्तर प्रदेश राज्य के ए.जी.ए. को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक **मुकेश** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 285/2026 धारा 303(2), 317(2), 336(3) और 338 बीएनएस के तहत, थाना-बारादरी, जिला-बरेली में दायर की गई है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और वर्तमान मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक 01.04.2026 से जेल में है। उन्होंने दलील दी कि अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी और करीब एक महीने बाद आवेदक और अन्य सह-आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया और उसके खिलाफ झूठी बरामदगी की गई। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि कथित वसूली का कोई सार्वजनिक गवाह नहीं है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक के आपराधिक इतिहास को अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



समझाया गया है और आवेदक अन्य मामलों में जमानत पर है और उसे पहले किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अपराध मजिस्ट्रेट-प्रथम वर्ग द्वारा विचारणीय है। इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान एजीए की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए और एफआईआर की सामग्री के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को देखते हुए, और अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मामले के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों, अभियुक्तों की मिलीभगत, सजा की गंभीरता और पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार जमानत आवेदन स्वीकार की जाती है।

6. आवेदक- **मुकेश**, जो उपरोक्त अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक उस अपराध के समान किसी भी अपराध को नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जिसके उस पर आरोप लगाया गया है, या जिस पर उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त की चूक के मामले में, ट्रायल कोर्ट के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के मामले में, पर्याप्त कारण के बिना, ट्रायल कोर्ट उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 229-ए (संबंधित धारा 269 बीएनएस) के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी (संबंधित धारा 84 बीएनएसएस) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ कानून के अनुसार, आईपीसी की धारा 174-ए (संबंधित धारा 209 बीएनएस) के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक (1) सुनवाई शुरू होने, (2) आरोप तय करने और (3) सीआरपीसी की धारा 313 (संगत धारा 351 बीएनएसएस) के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो ट्रायल कोर्ट के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10 जून, 2026

आदित्यजी

(संजीव कुमार, न्यायमूर्ति)